अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2019 (RCMS 2019/00106) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

26.06.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2019 को प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/–रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2019 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. माह जून 2000 में आपके कार्यालय में पद स्थापित कर्मकार श्री ओम प्रकाश भाटिया आत्मज श्री चिमनलाल उम्र लगभग 54 वर्ष जिस पद पर जिस पद पर जिस दिनांक से आपके कार्यालय में कार्यरत है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. माह जून 2000 में श्री ओम प्रकाश भाटिया जिस दिनांक को कार्यालय में कार्य दिवस में व अवकाश पर रहे व उस कार्य दिवस व अवकाश दिवस की सूचना व कार्य समय की सूचना।
3. अवकाश पर जिस दिवस रहे उस अवकाश कार्य विवरण व दिवस की सूचना व अवकाश के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्थापना/2019/119 दिनांक 31.05.2019 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक रीडर/19/100 दिनांक 24.04.2018 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक** प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना बिन्दुवाईज निम्न प्रकार से है :
>
> 1. **बिन्दु संख्या 01—** यह है कि बिन्दु सख्या एक में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आपके द्वारा चाही गई कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना है जो कार्मिक के द्वारा देने में सहमति नहीं दी है।
> 2. **बिन्दु संख्या 02—** यह है कि बिन्दु संख्या दो में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय, श्रीगंगानगर की उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं
> 3. **बिन्दु संख्या 03—** यह है कि बिन्दु संख्या तीन मं चाही गई सूचना के सम्बन्ध में कर्मचारी अवकाश के दिन क्या कार्य करता है की सूचना के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड को संधारित नहीं किया जाता है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीगंगानगर

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर